

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	--

19/12/2022

अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।


अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा वादग्रस्त आराजी के संबंध में बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सीधी दर्ज रजिस्टर कर आगामी तारीख नियत की। रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 01 से 04 सामलात खातेदार होने एवं राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल कर भू-माफियाओं को बेचान करने पर आमादा है। अतः अपील स्वीकर कर वादग्रस्त आराजी के संबंध मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की, किन्तु इसमें जो दादरसी चाही गई है, वह भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने से सम्बन्धित है। उक्त आदेशिका दिनांक 23.11.2021 को उद्धरित किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसमें मातहत अदालत द्वारा यह अंकित किया है कि -

“प्रार्थी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act के तहत बखिलाफ अप्रार्थीगणों के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगणों को जरिये जवाब-देही नोटिस से तलब होकर पेशी होकर दिनांक 11.02.2022 को पेश हो। ”

इस आदेशिका में ऐसा कोई तथ्य या आदेश नहीं है, जिससे अपीलान्ट व्यथित हो। अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में उक्त आदेशिका से व्यथित होने के कोई तथ्य अंकित नहीं किए हैं। इस अपील को प्रस्तुत करने के पीछे अपीलान्ट की मंशा जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में व्यादेश प्राप्त करना प्रतीत होती है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की अपील की परिधि में नहीं पाया जाता है। ऐसी आदेशिकाओं की सीधे माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी याचिका दायर करवाने के ही प्रावधान हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के श्रवाणाधिकार की नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज योग्य थी, इसमें पारित अंतरिम व्यादेश दिनांक 07.12.2021 भी विधिक दृष्टि से प्रत्याहरित किये जाने योग्य होने से प्रत्याहरित किया जाकर अपील खारिज की जाती है।

बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-वासीर